

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

RBA No. 52/2025

No. 2024/APP/6-1/2023-24

New Delhi Dated: 31.01.2025

GMs/All ZRs & PUs.

PFAs/ All ZR & PUs.

Sub: Review of Accountal of expenditure.

Ref: Recommendations of the Public Accounts Committee contained in their First report (18th Lok Sabha) on "Excesses over Voted Grants and Charged Appropriations (2021-22)

The Public Accounts Committee, in its report referred above, has expressed serious concern regarding the recurring issue of misclassification of expenditure. It has been observed that there have been multiple instances of incorrect expenditure booking by Zonal Railways, despite periodic instructions issued by the Railway Board (RBA 23/2023).

This indicates a failure to exercise due diligence in accurately recording expenditure by Zonal Railways and Production Units (PUs), resulting in frequent misclassifications. Such deficiencies in Railway operations not only present a poor image of the Railways but also lead to the inefficient use of scarce budgetary resources.

As per Codal provisions (E- 1349) it is the duty of the executive engineers to ensure that all bills should be correctly allocated to the heads of accounts classification and sub-heads of works concerned. In the case of bills chargeable to works the allocation should be given in full detail as on the sanction estimates. This rule applies to all vouchers, whether cash or adjustment and whether of open lines or of lines under construction.

Further, as per A1, 217 **the primary responsibility for the allocation of all receipts and payments rests with the concerned departmental officers.** Each bill or voucher received from them should show the correct allocation of the receipt/expenditure in the fullest detail. Correct classification should be followed in recording the expenditure in accounts irrespective of whether provision in the budget has been made under correct budget head.

Since the Accounts Department is responsible for seeing, to the extent it is possible for them to do so, that the allocation shown on the initial document is not prima facie incorrect, an immediate special drive to educate the executive branches should be launched using the past instances of misclassification to prevent recurrence. The drive may focus on educating and training staff on the proper accounting of expenditure, as per the Railway codes and manuals on the subject.

In view of the above, the following actions may be ensured:

- i. **Enhanced Coordination: Ensure effective coordination between Executive departments and Accounts to enable the concurrent detection and correction of**

I/3116255/2025

- errors before the closure of the monthly accounts.
- ii. **Strengthening Internal Checks:** Strengthen internal audit and checking mechanisms to identify and address areas prone to misclassification.
 - iii. **Compendium/Checklist Creation:** Develop a comprehensive compendium or checklist outlining common mistakes and misclassifications on your Zone, serving as a guide for staff to prevent recurrence.
 - iv. **Leveraging Computerization:** Maximize the use of computerization to minimize manual intervention and reduce the risk of human error.

It is imperative that all instances of incorrect expenditure booking are swiftly identified and rectified before the closure of the Monthly Account.

Signed by

Basant Kumar Singh

Date: 31-01-2025 10:51:10

(Basant K. Singh)

Principal Executive Director/Accounts

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आरबीए सं. 02/2025

सं.2024/एपीपी/6-1/2023-24

नई दिल्ली, दिनांक: 31.01.2025

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: व्यय के लेखा-जोखा की समीक्षा।

संदर्भ: "स्वीकृत अनुदान और प्रभृत विनियोग (2021-22) की तुलना में आधिक्य पर लोक लेखा समिति की प्रथम रिपोर्ट (18वीं लोक सभा) में निहित सिफारिशें

लोकलेखासमितिके अपनी उपर्युक्त रिपोर्ट में व्यय की गलत वर्गीकरण की पुनरावृत्ति के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह देखा गया है कि रेलवे बोर्ड (आरबीए 23/2023) द्वारा समय-समय पर आवधिक अनुदेश जारी किए जाने के बावजूद क्षेत्रीय रेलों द्वारा गलत व्यय बुकिंग के कई मामले देखे गए हैं।

यह क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों द्वारा व्यय को सही ढंग से रिकॉर्ड करने में उचित तत्परता बरतने में विफलता को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार गलत वर्गीकरण होता है। रेल परिचालन में ऐसी कमियों से न केवल रेलवे की छवि खराब होती है बल्कि सीमित बजटीय संसाधनों का अक्षम उपयोग भी होता है।

कोडल प्रावधानों (ई-1349) के अनुसार कार्यपालक इंजीनियर का यह कर्तव्य है कि संबंधित कार्यों के सभी बिलों में लेखा वर्गीकरण के शीर्ष और उप-शीर्ष का सही ढंग से आवंटन किया जाए। निर्माण को प्रभृत बिल के मामले में आवंटन का पूर्ण विवरण दिया जाए जैसा कि स्वीकृत अनुमान में दिया गया है। यह नियम सभी वाउचरों पर लागू होता है, चाहे रोकड़ अथवा समायोजन से संबंधित हो और चाहे ओपन लाइन अथवा निर्माणाधीन लाइन से संबंधित हो।

इसके अलावा, ए1, 217 के अनुसार सभी प्राप्तियों और भुगतान के आवंटन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित विभागों के अधिकारियों पर है। उनसे प्राप्त प्रत्येक बिल अथवा वाउचर में प्राप्तियां/व्यय के सही आवंटन का संपूर्ण विवरण दर्शाया जाना चाहिए। व्यय को खातों में दर्ज करते समय सही वर्गीकरण का पालन किया जाना चाहिए, चाहे बजट में सही बजट शीर्ष के तहत प्रावधान किया गया हो या नहीं।

चूंकि लेखा विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि प्रारंभिक दस्तावेजों पर दिखाए गए आवंटन स्पष्ट रूप से गलत न हों, इसलिए कार्यकारी शाखाओं को जानकारी देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए, ताकि गलत वर्गीकरण की पूर्व घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस अभियान में रेलवे की संहिताओं और नियमावली के अनुसार व्यय की उचित लेखांकन प्रणाली के बारे में कर्मचारियों को जागरूक और प्रशिक्षित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्यवाई सुनिश्चित की जाए:

- i. समन्वय
संवर्धन: मासिक खातों के समापन से पहले ब्रुटियों का समवर्ती पता लगाने और सुधारने के लिए प्रमुख विभागों और लेखा के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
- ii. आंतरिक जांचों को सुदृढ़ करना: गलत वर्गीकरण के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा और तंत्र जांच सुदृढ़ करना।
- iii. सार-संग्रह/जांच सूची तैयार करना: जोन के अंतर्गत सामान्य गलतियों और गलत वर्गीकरण को रेखांकित करने के लिए व्यापक सार-संग्रह अथवा जांच सूची तैयार करना जिससे कर्मचारियों के लिए पुनरावृत्ति को रोकने में मार्गदर्शक के रूप में सेवा कर सकें।
- iv. कंप्यूटरीकरण का लाभ उठाना: मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने और मानवीय ब्रुटियों के जोखिम को कम करने के लिए कंप्यूटरीकरण के उपयोग को अधिकतम करना।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि मासिक लेखों के समापन से पहले गलत व्यय बुकिंग के उपरोक्त सभी मामलों की पहचान की जाए और अपेक्षित सुधार कर लिया जाए।

ह.

(बसंत के. सिंह)

प्रधान कार्यपालक निदेशक (लेखा)

रेलवे बोर्ड